

13/10/17 14 वीधा ॥ बिस्वा के लंबे में जमीन द्वारा प्रस्तुत  
 जमीनपत्र व कतावेजों जसे इतरनामा, अजवाबदी  
 संवत् 2060-2063 का प्रमाणित किया गया व साथ  
 ही अजवाब के द्वारा प्रस्तुत जवाब का प्रमाणित किया गया  
 धर्म व अजवाब द्वारा प्रस्तुत कथनों का तथ्यात्मक परीक्षण  
 करने के पश्चात् न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि  
 प्रथम प्रत्यक्ष मामला अजवाब लि. 1 के पक्ष में है व इसके  
 साथ ही सुविधा का संतुलन भी अजवाब लि. 1 के पक्ष  
 में ही प्रतीत होता है साथ ही अगर अजवाब लि. 1 के  
 विरुद्ध अगर अस्थाई निषेधाज्ञा पारित की जाती है  
 तो अजवाब लि. 1 को अप्रतियोग्य कर दिया जाएगा। नतः  
 उक्त तीन बिंदुओं के आधार पर अजवाब का जमीनपत्र  
 अंतर्गत धारा 212 राजस्थान अस्थाई निषेधनियम  
 वास्ते ग्राम बिल्लपुर खसरा नं. 215 रुखा  
 1 वीधा 5 बिस्वा व खसरा नं. 249 रुखा 14 वीधा  
 ॥ बिस्वा वास्ते अस्थाई निषेधाज्ञा पारित किया  
 जाता है। पत्रावली शुगर फैक्टरी को कर नम्बर से उक्त  
 क्षेत्र शामिल है पत्रावली नवीनीकृत।